ब–अदालत, अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा

पी0ए0 केश नं0– 72 / 16–17

तालामय हेम्ब्रम बनाम् रैयान, मौजा–भेरंडा

6.18

–: आदेश :–

वर्त्तमान प्रकिया आवेदिका तालामय हेम्ब्रम, पति–स्व0 लखन मरंडी, सा0–भेरंडा, अंचल–बोआरीजोर, जिला–गोड्डा ने संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा 6 के तहत् मौजा–भेरंडा नं0–49 के प्रधान की मृत्यु के फलस्वरूप रिक्त प्रधानी पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन किया गया है।

आवेदिका के विज्ञ अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख में संलग्न कागजात का अवलोकन किया।

आवेदिका द्वारा दाखिल आवेदन की जांच प्रतिवेदन अंचल अधिकारी, बोआरीजोर के पत्रांक–234 / रा0, दिनांक–22.05.2018 से प्राप्त है। जांच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया है कि मौजा– भेरंडा नं0–49 प्रधानी मौजा है। मौजा– भेरंडा, थाना नं0–49 के अंतर्गत जमाबंदी नं0–05 के जमाबंदी रैयत किशुन मरंडी, प्रधान की पोत्रवधु है। आवेदिका के पति स्व0 लखन मरंडी उक्त प्रधानी मौजा के अंतिम प्रधान थे, जिनकी मृत्यु दिनांक–11.05.2015 को हो गई है। आवेदिका तालामय हेम्ब्रम गत प्रधान स्व0 लखन मरंडी की पत्नी हैं। अंचल अधिकारी, बोआरीजोर ने संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा 6 के तहत् वंशानुगत आवेदिका तालामय हेम्ब्रम को मौजा–भेरंडा नं0–49 का प्रधान नियुक्त करने के लिए अनुशंसा किया है।

मौजा के सोलह आना रैयतों को प्रधानी नियुक्ति आवेदन पर आपत्ति देने हेतु इस न्यायालय के डी0बी0 सं0–10 / रा0, दिनांक–26.04.2018 द्वारा नोटिस तामिला हेतु भेजा गया। सोलह आना रैयतों से नोटिस तामिला कराया गया। किसी भी व्यक्ति या प्राधिकार द्वारा उक्त नियुक्ति पर कोई आपत्ति प्राप्त नही हुआ है। इससे स्पष्ट है कि आवेदिका मौजा के सोलह आना रैयतों से सामान्तया स्वीकार्य योग्य है तथा संथाल परगाना काश्तकारी नियम 1950 के तहत् वर्णित किसी भी प्रकार की अयोग्यता देने का प्रतिवेदन अप्राप्त है।

अतः अंचल अधिकारी, बोआरीजोर के पत्रांक–234 / रा0, दिनांक–22.05.2018 के अनुशंसा के आधार पर संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा–6 के तहत् तालामय हेम्ब्रम, पति–स्व0 लखन मरंडी, सा0–भेरंडा, अंचल–बोआरीजोर को मौजा–भेरंडा, थाना नं0–49 के अंतर्गत जमाबंदी नं0–05 का प्रधान नियुक्त किया जाता है। नवनियुक्त प्रधान को आदेश दिया जाता है कि एक वर्ष का खजाना कोषागार में जमाकर चलान की प्रति के साथ संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 7 के तहत् कबूलियत और जमानत दाखिल कर पट्टा प्राप्त करेंगे।

अनुमंडल पदाधिकारी,
महागामा।

Scanned with CamScanner